

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक: एफ 11-90/10/बी-ग्यारह

भोपाल दिनांक 6/4/2011.

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन ।

संदर्भ:- विभाग का पत्र क्रमांक एफ 20-1/2010/बी-ग्यारह दिनांक 4/1/2011.

प्रदेश के जनसंकल्प, 2008 के वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से सम्बंधित भाग के बिन्दु क्रमांक 1 का स्पष्ट आशय है कि भविष्य में आवश्यक औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करने के उपरांत ही औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित भूमि का आवंटन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कड़िका क्रमांक 14.4 में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने की नीति लागू की जायेगी। इसी के अनुक्रम में विभाग संदर्भित आदेश दिनांक 4/1/2011 से प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने हेतु मार्गदर्शी बिन्दु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रसारित किये गये हैं। सुलभ संदर्भ विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4/1/2011 की छायाप्रति संलग्न है।

2. उक्त आदेश के अनुक्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि प्रदेश के किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अविकसित भूमि का आवंटन महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी/प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा नहीं किया जायेगा। अब नवीन स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी से ले-आउट अनुमोदित होने के पश्चात उनमें मूलभूत अधोसंरचनात्मक विकास सम्बंधी कार्यों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार होने के उपरांत उनके सम्बंध में सक्षम स्तर से प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करते हुए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने के प्रस्ताव इस विभाग के संदर्भित आदेश से प्रसारित मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार तैयार किये जाकर उद्योग आयुक्त के माध्यम से विभाग को भेजे जायें। इसी प्रकार जहां पूर्व से स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाना है, वहां विस्तारित क्षेत्र के सम्बंध में भी सक्षम प्राधिकारी से ले-आउट अनुमोदन एवं मूलभूत औद्योगिक संरचना के विकास के सम्बंध में उक्तानुसार कार्यवाही विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र को अधिसूचित किये जाने के प्रस्ताव विभाग को भेजना आवश्यक होगा। विभाग में इस प्रकार प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों/विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने की स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही ऐसे क्षेत्रों में भूमि का आवंटन मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

3. इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये तथा निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाये।

(भरत कुमार व्यास)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क0:एफ 11-90/10/बी-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक /4/2011.

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हपमेंट कार्पोरेश लि./ म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि., भोपाल
2. संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल/जबलपुर/रीवा/इन्दौर/उज्जैन/औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर
4. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

(भरत कुमार व्यास)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

कमांक 47/अधोविक/विविध/(4)/11/1945-2002 भोपाल, दिनांक 26/4/11
प्रतिलिपि:-

1. अपर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/जबलपुर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/रीवा
2. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, —————

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित।


उप संचालक उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त, म0प्र0